



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

दिनांक: 01 सितम्बर, 2015

संख्या: 99-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2015

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) तथा उ०प्र० सरकारी सेवक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम-2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002 टी०सी०-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिक को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नतियों को निरस्त करते हुये, उन्हें एतद्वारा स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है एवं तत्क्रम में उनके पोषक वर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर स्तम्भ-5 में उल्लिखित पद पर सम्मुख अंकित तिथि से विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुरूप चयनित करते हुये, प्रोन्नत एवं तैनात किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम/अभिज्ञान सं०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नतियों के पदनाम	स्तम्भ-3 में प्रदान की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	एकल विरिष्ठता के आधार पर प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम/दिनांक तथा आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद/86098 आगरा/31.07.2020/वै० एवं या०/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।	अधीक्षण अभियन्ता मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता 01.01.2015 दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 99-अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त कार्मिक को उनके वर्तमान पद से तत्काल अवमुक्त कर, उन्हें नव तैनाती पद एवं कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशित करेंगे।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इस आशय से प्रेषित कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिनांक 21.03.2007 को पारित अन्तिम निर्णय में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा गठित द्विःसदस्यीय समिति का यथावॉछित अनुमोदन प्राप्त कर, उक्त कार्मिक की पुनः तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त, मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सम्बन्धित निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कार्मिक को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाएगा।

Shoma

- 5- समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
- 7- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-8/4/1/2002टी०सी०-1-का-2015, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं०-60-विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 9- उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव (2अ)